राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

पुनरीक्षण संख्या –1769/2008/जयपुर

1. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक–चाकसू, जयपुर। ......प्रार्थी.

बनाम्

(1)श्री छीतर पुत्र श्री कृष्णा मीणा,
निवासी–शिवदासपुरा, तहसील–चाकसू, जयपुर ।
(2) रामबाबू लाल अग्रवाल पुत्र श्री मदन लाल अग्रवाल, 601, एपेक्स मॉल, टोंक रोड, जयपुर । अप्रार्थीगण.

एकलपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,
उप–राजकीय अभिभाषक । ....प्रार्थी की ओर से.

श्री वीरेन्द्र गोयल,
अभिभाषक। ....अप्रार्थी संख्या–2 की ओर से.

अनुपस्थित । अप्रार्थी संख्या–1 की ओर से.

निर्णय दिनांक : 10.07.2014

निर्णय

1. प्रार्थी उपपंजीयक–चाकसू जयपुर द्वारा यह पुनरीक्षण, राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 65 के तहत् कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर वृत्त–द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे "कलक्टर" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक **04.06.2007** के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है, जो प्रकरण संख्या **253/2007** के संबंध में है तथा जिसमें प्रार्थी उपपंजीयक ने विद्वान् "कलक्टर"द्वारा पारित आदेश दिनांक **04.06.2007** को चुनौती दी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा स्वयम् के स्वामित्व की सम्पति अप्रार्थी संख्या–2 को जो ग्राम शिवदासपुरा में स्थित थी, के पक्ष में करने का एक लिखित "इकरारनामा" (agreement to sale) दिनांक **08.12.2005,** जो नोटेरी पब्लिक से सत्यापित करवाया गया था, के संबंध में अप्रार्थी संख्या–5 द्वारा "कलक्टर" के समक्ष इसे पूर्ण मुद्रांकित घोषित करवाने हेतु दिनांक **13.04.2007** को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। "कलक्टर" द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर, उपपंजीयक, से सम्पति की मूल्यांकन रिपोर्ट चाहने पर, उपपंजीयक द्वारा तत्समय प्रचलित डी.एल.सी. दरों के आधार पर **"इकरारनामे"** के अनुसार बिक्रीत प्रश्नगत भूखण्ड की मालियत **₹17,18,000/–** कायम कर, रिपोर्ट पेश की गयी। उक्त

लगातार.............2

रिपोर्ट के प्रकाश में, "कलक्टर" द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड की तत्समय की प्रचलित दर से प्रश्नगत भूखण्ड की उपर्युक्त वर्णित मालियत निर्धारित कर, मुद्रांक शुल्क व शास्ति कुल ₹35,000/– वसूली योग्य होना निर्धारित कर, आदेश दिनांक 04.06.2007 पारित किया गया । जिससे व्यथित होकर, उपपंजीयक द्वारा यह पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया है ।

3. बहस सुनी गयी।

4. प्रार्थी की ओर से उप–राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि विद्वान अतिरिक्त कलक्टर द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है । इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **राजस्थान राज्य व अन्य बनाम् मैसर्स खण्डाका जैन ज्वैलर्स (2007) 19 टैक्स अपडेट 355 = 2008 आर.बी.जे. (15) 133** एवं **हरियाणा राज्य व अन्य बनाम् मनोजकुमार के न्यायिक दृष्टान्त 2010 (2) आर. आर.टी. 731** को प्रोद्धरित कर, तर्क दिया कि तत्समय की प्रचलित दर से प्रश्नगत भूखण्ड की मालियत कायम करना माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के आलोक में पूर्णतः अविधिक एवम् अनुचित है। अतः उपर्युक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित विधि के प्रकाश में, पारित आदेश को अपास्त कर, अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुति की तिथि 13.04.2007 को प्रचलित डी.एल.सी. दरों के अनुसार, मालियत कायम कर, नियमानुसार स्टॉम्प ड्यूटी व शास्ति वसूली करने हेतु प्रकरण कलक्टर को प्रतिप्रेषित करने की प्रार्थना की गयी।

5. अप्रार्थी संख्या–2 की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कलक्टर के आदेश का समर्थन किया। अप्रार्थी संख्या–1 की ओर से बावजूद नोटिस तामिली के कोई उपस्थित नहीं है। अतः एकपक्षीय बहस सुनी जाकर, गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जा रहा है।

6. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया तथा रिकॉर्ड पर उपलब्ध सम्बद्ध अभिलेखों का अनुशीलन किया गया। इस संबंध में रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों के परिशीलन से विदित होता है कि विद्वान कलक्टर द्वारा पारित आदेश विधिअनुकूल नहीं है जैसाकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने **राजस्थान राज्य व अन्य बनाम् मैसर्स खण्डाका जैन ज्वैलर्स** के न्यायिक दृष्टान्त **(2007) 19 टैक्स अपडेट 355 = 2008 आर. बी.जे.(15) 133** में निम्न प्रकार विधि प्रतिपादित की है **" Accordingly we are of the opinion that the view taken by the learned Single Judge as well as by the Divison bench cannot be sustained and the same is set aside. The**

लगातार.............3

Collector shall determine the valuation of the instrument on the basis of the market value of the property at the date when the document was tendered by the respondent for registration, and the respondent shall pay the stamp duty charges and surcharge. If any, as assessed by the Collector as per the provisions of the Act. The appeal of the State is allowed." (पैरा–16) अतः माननीय न्यायालय द्वारा उपर्युक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित विधि के आलोक में, हस्तगत प्रकरण में कलक्टर द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड की मालियत तत्समय यानि इकरारनामे की तिथि 08.12.2005 को प्रचलित डी.एल.सी. की दरों के आधार पर मालियत का निर्धारण कर, मुद्रांक शुल्क व शास्ति की मांग राशियां कायम करना विधिसम्मत नहीं है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के आलोक में, विद्वान कलक्टर द्वारा पारित आदेश को अपास्त किया जाकर, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण स्वीकार किया जाकर, प्रकरण "कलक्टर" को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे इस आदेश प्राप्ति के तीन माह में दिनांक 13.04.2007 को प्रचलित डी.एल.सी. दरों के अनुसार मांग राशियां कायम करने का आदेश पारित कर, वसूली करना सुनिश्चित करें ।

7. परिणामतः, पुनरीक्षण स्वीकार किया जाकर, उपर्युक्तानुसार कार्यवाही हेतु "कलक्टर" को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

8. निर्णय सुनाया गया।

10.7.14

(मदन लाल)
सदस्य